

किस्म दस्तावेज
पट्टा की म्याद

पट्टा विलेख

29 साल 11 माह

पट्टा शुरू करने की दिनांक

27/04/2026 किराया 300/- रूपया

प्रति माह यानी 3600/- रूपया प्रति

बर्ष वार्षिक किराये के 6 गुना यानि कि

21,600/- रूपये यानि 22,000/-रूपये

पर 4 प्रतिशत स्टाम्प अदा किया जा रहा

है।

- 900/- रू0 ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र

सं0 IN-UP30410163624169Y जो

दिनांक 27.04.2026 को जारी किया गया

है।

स्टाम्प

नाम जमीन मालिक :- श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह उर्फ
जोगेन्द्र सिंह निवासी 26, कमांडर्स कॉलोनी, मधुनगर, आगरा उ०प्र०।
(आधार नंबर 2384 7841 2388) Pan no. AWDP52906A
मो०नं० 9412258864 -प्रथम पक्ष पट्टे पर देने वाले।

एवम

समग्र शिक्षा संस्थान सेवला सराय ग्वालियर रोड आगरा पिनकोड नं०
282001 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं० 1157/1994-95 दिनांक
04.02.1995 द्वारा प्रबन्धक श्री शेखर भरत सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह
निवासी 26, कमांडर कॉलोनी, मधु नगर, देवरी रोड आगरा उ०प्र०।
(आधार नंबर 6529 9593 1164) Pan no. ABGAS0997J
मो०नं० 9999785388

- शिक्षा संस्थान पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष।









विवरण जमीन पट्टेशुदा —: जो कि एक किता जमीन जो खसरा सं० 143 पर निर्मित है व तादाद 14146 वर्गमीटर है वाकै मौजा सेवला जाट तहसील व जिला आगरा जिसकी सीमाये इस प्रकार है —:

पूरब	पी आर पुरम कॉलोनी
पश्चिम	रास्ता 30 फुट चौडा व निकास।
उत्तर	डिफेन्स पैलेस कॉलोनी
दक्षिण	रास्ता 30 फुट चौडा व निकास।

विदित हो कि उक्त जमीन के प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामी व काबिज व दखील चले आते हैं। जिनका नाम वहसियत मालिक के राजस्व-भू-अभिलेख (खतौनी) में दर्ज चला आता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष उक्त जमीन के मालिक व स्वामी व काबिज व दखील चले आते है। जिसे प्रथम पक्ष अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त जमीन को द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दे रहे है। जिसमें अन्य हकदार व हिस्सेदार नहीं है और उक्त जमीन आज तक तौर पर पाक व साफ है और उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये पट्टे पर प्राप्त करना चाहते है अतः दोनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित पट्टेदारी तय करार पायी है —:

- 1- यह कि उक्त जमीन का किराया मुवलिग 300/- रूपया प्रति माह तय करार पाया है जिसे द्वितीय पक्ष माह व माह प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
- 2- यह कि उक्त जमीन की पट्टेदारी दिनांक 27/04/2026 से प्रारम्भ हो चुकी है जो आगामी 29 साल 11 माह तक कायम व बरकार रहेगी।
- 3- यह कि पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष उक्त जमीन में कोई शिकमी किरायेदार आबाद नहीं करेगा।







विवरण जमीन पट्टेशुदा -: जो कि एक किता जमीन जो खसरा सं0 143 पर निर्मित है व तादाद 14146 वर्गमीटर है वाकै मौजा सेवला जाट तहसील व जिला आगरा जिसकी सीमाये इस प्रकार है -:

पूरब पी आर पुरम कॉलोनी
पश्चिम रास्ता 30 फुट चौडा व निकास।
उत्तर डिफेन्स पैलेस कॉलोनी
दक्षिण रास्ता 30 फुट चौडा व निकास।

विदित हो कि उक्त जमीन के प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामी व काबिज व दखील चले आते हैं। जिनका नाम वहैसियत मालिक के राजस्व-भू-अभिलेख (खतौनी) में दर्ज चला आता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष उक्त जमीन के मालिक व स्वामी व काबिज व दखील चले आते है। जिसे प्रथम पक्ष अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त जमीन को द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दे रहे है। जिसमें अन्य हकदार व हिस्सेदार नहीं है और उक्त जमीन आज तक तौर पर पाक व साफ है और उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये पट्टे पर प्राप्त करना चाहते है अतः दोनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित पट्टेदारी तय करार पायी है -:

- 1- यह कि उक्त जमीन का किराया मुवलिग 300/- रूपया प्रति माह तय करार पाया है जिसे द्वितीय पक्ष माह व माह प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
- 2- यह कि उक्त जमीन की पट्टेदारी दिनांक 27/04/2026 से प्रारम्भ हो चुकी है जो आगामी 29 साल 11 माह तक कायम व बरकार रहेगी।
- 3- यह कि पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष उक्त जमीन में कोई शिकमी किरायेदार आबाद नहीं करेगा।









आवेदन सं०: 202600766026353

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4490

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त पट्टा दाता: 1

श्री शैलेन्द्र सिंह,

SHAIENDRA SINGH


पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह

निवासी: 26, कमांडर्स कॉलोनी, मधुनगर आगरा उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 906A

पट्टा गृहीता: 1



श्री समग्र शिक्षा संस्थान सेवला सराय ग्वालियर रोड आगरा के द्वारा शेखर भरत सिंह,

SS PUBLIC SCHOOL

पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह

निवासी: 26, कमांडर्स कॉलोनी, मधुनगर देवरी रोड आगरा उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 997J

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1



श्री संजय, पुत्र श्री भारत सिंह

निवासी: नई आबादी सुदामा पुरम एस०के०एस० इंटर कॉलेज, सेवला जाट आगरा उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री पवनेश, पुत्र श्री चित्र सिंह

निवासी: हनुमान का पुरा, बसई कारे, धौलपुर राज०।

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

नईम खान

उप निबंधक : सदर द्वितीय आगरा 28/04/2026

निबंधक लिपिक आगरा 28/04/2026


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी:

पवनेश



- 4- यह कि पट्टेशुदा उक्त जमीन में अवैधानिक या असमाजिक अथवा अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकेगा।
- 5- यह कि पट्टेशुदा जमीन मजकूर में उक्त विद्यालय के ही नाम से कायम रहेगा और जमीन मजकूर में रिहायशी वगैरा किसी प्रकार की तामीर द्वितीय पक्ष नहीं करेगा।
- 6- यह कि द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार होगा कि उक्त शिक्षा संस्थान हेतु कमरे वगैरा तामीर करावे और उक्त विद्यालय कायम करें।
- 7- यह कि पट्टेशुदा जमीन में पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष शिक्षा सम्बन्धी कार्य करेगा। जिसमें द्वितीय पक्ष वहैसियत प्रबन्धक के एस0 एस0 पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलायेंगे।
- 8- यह कि द्वितीय पक्ष पट्टे पर लेने वाले पट्टेशुदा जमीन पर आवश्यकतानुसार निर्माण करा सकते हैं।
- 9- यह कि उक्त पट्टेशुदा जमीन में प्रयोग होने वाली बिजली का खर्चा पट्टे पर लेने वाले स्वयं किराये से अलग वहन करेगा।
- 10- यह कि जब भी द्वितीय पक्ष उक्त पट्टेशुदा जमीन को खाली करेगा उसका कब्जा व दखल प्रथम पक्ष को ही देगा।
- 11- यह कि पट्टा विलेख हाजा की पाबंदी हर दो पक्षकारान व उनके वारिसान पर लाजिमी व जरूरी रहेगी।
- 12- यह कि पट्टेशुदा जमीन में बिजली के बिल की जिम्मेदारी व रंग रोगन की व रखरखाव के समस्त खर्चे की जिम्मेदारी पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष की होगी।
- 13- यह कि पट्टे पर लेने वाले द्वितीय पक्ष वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- 14- यह कि द्वितीय पक्ष पट्टेशुदा जमीन पर स्कूल के नाम से मान्यता प्राप्त करें जिसमें मुझ प्रथम पक्ष/पट्टादाता की पूर्ण सहमति एवं रजामंदी है।





15-यह कि पट्टे विलेख की म्याद समाप्त होने पर अगर भविष्य में दोनों पक्षों के मध्य सम्बन्ध मधुर रहते हैं तो यह पट्टेदारी पुनः नई शर्तों के अनुसार किरायेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पुनः तहरीर की जायेगी।

16- यह कि दस्तावेज हाजा पर चस्पा फोटो व निशानी अंगूठा व हस्ताक्षरों की शिनाख्त अग्रलिखित साक्षियों दस्तावेज द्वारा की गई है।



लिहाजा यह पट्टा विलेख लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे तहरीर दिनांक 27/04/2026 ई0 व मसौदा लोकप्रताप सिंह एडवोकेट सदर तहसील आगरा व पक्षकारों के हस्ताक्षरों व निशानी अंगूठा की शिनाख्त अग्रलिखित साक्षियों ने की है।







साक्षी प्रथम:- श्री संजय पुत्र श्री भारत सिंह निवासी नई आबादी सुदामा पुरम एस0के0एस0 इंटर कॉलेज सेवला जाट, आगरा उ0प्र0। (आधार नंबर 8307 8510 5644) मो0नं0 8630152772




साक्षी द्वितीय:- श्री पवनेश पुत्र श्री चित्र सिंह निवासी हनुमान का पुरा, बसई कारे, धौलपुर राज0। (आधार नंबर 7265 1335 3887) मो0नं0 7240115809








आवेदन सं०: 202600766026353

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17893 के पृष्ठ 163 से 176 तक क्रमांक 4490 पर
दिनांक 28/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नईम रजा

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

28/04/2026





आवेदन सं०: 202600766026353

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17893 के पृष्ठ 163 से 176 तक क्रमांक 4490 पर
दिनांक 28/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नईम रजा

उप निबंधक : सदर द्वितीय

आगरा

28/04/2026

